

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 01-01/2012/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/3/12

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :- संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया।

संदर्भ :- विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-1/2012/20-1 दिनांक 10.01.2012

—0—

विभाग के संदर्भित आदेश क्रमांक एफ 1-1/2012/20-1 दिनांक 10.01.2012 को अधिकृत करते हुए, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम 2005 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम 2005 के नियम 6 उप नियम (9) शीर्ष चयन का मापदण्ड में प्रावधान है कि - "संविदा शाला शिक्षक के नियोजन तथा सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।" इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार संविदा शाला शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार निर्धारित करती है :-

1. पात्रता परीक्षा का आयोजन :-

- (1) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, वनस्पति विज्ञान/प्राणीविज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, कृषि, वाणिज्य एवं गृहविज्ञान विषय में आयोजित होगी।
- (2) श्रेणी-2 की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। गणित विषय अन्तर्गत अभ्यर्थी को गणित

27/3/12

विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय अन्तर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से किन्ही दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू अन्तर्गत संबंधित विषय में विशिष्ट भाषा के रूप में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। सामाजिक विज्ञान विषय अन्तर्गत इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।

- (3) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी।
2. संविदा शाला शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं :-
 - (1) संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2005 के नियम 2 (ज) अनुसूची-दो (संशोधन दिनांक 22 एवं 27 जून 2011) अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा।
 - (2) अनुसूची-दो के कॉलम (5) में उल्लेखित योग्यता के आधार पर संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति संबंधित निकाय द्वारा की जायेगी। अनुसूची-दो के खण्ड (10) अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2011 के द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों से शिक्षकों की पदपूर्ति की अनुमति प्राप्त हुई है। इस अनुमति के आधार पर किसी संवर्ग (संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3)/विषय/प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अन्य) में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस पद की पूर्ति उसी प्रवर्ग के अप्रशिक्षित अभ्यर्थी से की जायेगी।
3. संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण :-
 - (1) सरकार से संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् नगरीय निकायों, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)



अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना कमांक -एफ-6-1/2002 आ0प्र0/एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार और राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर जारी किए गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किये जाएंगे।

- (2) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए महिलाओं, निःशक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, नियम 6 (7) (ख) के अनुसार होगा।
 - (3) पिछड़ी आदिम जन जातियों के लिए आरक्षण नियम 7 के अनुसार होगा।
 - (4) निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन परिपत्र क्र. एफ 1-24/05/20-1, भोपाल, दिनांक 17.11.2005 एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण की कार्रवाई म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक : 380/1773/05/आ0प्र0/एक, भोपाल, दिनांक 24.03.06 के अनुक्रम में की जाए।
4. पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अर्हताकारी अंक :-
- (1) नियम 2005 के नियम-6 (2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल (व्यापम) को पूर्व से पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विहित अभिकरण घोषित किया गया है।
 - (2) पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा।
 - (3) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने तक के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत श्रेणीवार एवं प्रवर्गवार निम्नानुसार होगा :-

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्त व्यक्तियों सहित	अन्य
(1)	(2)	(3)
श्रेणी-1	50 %	60 %
श्रेणी-2	50 %	60 %
श्रेणी-3	50 %	60 %

27/3/12

- (4) प्राधिकृत अभिकरण पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा प्राप्त किये गये प्राप्तांकों (दशमलव के दो अंकों तक) के आधार पर संवर्गवार, विषयवार एवं आरक्षणवार (एकीकृत एवं वर्गवार) मेरिट सूची उपलब्ध करायेगा, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के क्रम में ऊपर दर्शित होगी, इसके ठीक नीचे मेरिट के क्रम में उन अभ्यर्थियों की सूची होगी, जिनके द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित नहीं की है।
- (5) प्रवर्गवार योग्यता सूची में अंक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी।
5. रिक्तियों की गणना एवं विज्ञापन का प्रारूप :-
- (1) नियम 2005 के नियम-4 में संविदा शाला शिक्षकों के रिक्तियों के आंकलन का प्रावधान दिया गया है। जिसके अनुसार रिक्त पदों के आंकलन की कार्यवाही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाना है।
- (2) रिक्त पदों का शासन स्तर से अनुमोदन किया जाकर संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन हेतु रिक्त पद शासन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (3) जिला स्तर से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमोदित एवं रिक्त पदों को नियुक्तकर्तावार/श्रेणीवार (श्रेणी-1,2 एवं 3)/ विषयवार/आरक्षणवार रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रमाणित जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में निर्धारित दिनांक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।
- (4) सभी पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदकों को, संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पद पर आवेदन करने की सुविधा प्राप्त हो सकें। इस उद्देश्य से जिले से प्राप्त बिन्दु क्रमांक (3) में उल्लेखित जानकारी के आधार पर स्थानीय निकाय यथा पंचायत/नगरीय निकाय के संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) की ओर से एक संक्षिप्त विज्ञापन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया जायेगा तथा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एज्यूकेशन पोर्टल एवं इस संबंध में तैयार की गई वेबसाइट पर भी रखी जायेगी।

21/3/22

(5) वर्ष 2011-12 में संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की प्रथम कार्यवाही केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अधीन बिन्दु क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार की जायेगी। इसके उपरांत भविष्य में नवीन स्वीकृत पदों पर नियोजन की कार्यवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश यथा समय अलग से जारी किये जायेंगे।

6. अर्हताधारी आवेदकों द्वारा रिक्त पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन करना :-

(1) पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदक अथवा अर्हताधारी आवेदकों का मेरिट में आने वाला वह समूह जैसा कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रिक्त पदों के नियोजन के लिए यथा स्थिति अपने गृह जिले अथवा प्रदेश के किसी भी जिले में प्रमाण पत्रों का पंजीयन कर सत्यापन कराएगा।

(2) सत्यापन पंजीयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता/शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता/जाति प्रमाण-पत्र/आयु संबंधी छूट से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अन्य मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा करने के उपरांत अभ्यर्थी को सत्यापन पंजीयन क्रमांक दिया जाएगा।

(3) सत्यापन पंजीयन क्रमांक प्राप्त करने के उपरांत आवेदक को नियुक्तकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदक एक से अधिक निकाय में रिक्त पद के लिए निकाय के विकल्प का चयन कर सकता है।

(4) आवेदक को एक से अधिक निकायों के लिए प्राथमिकता के क्रम में विकल्प चयन की सुविधा रहेगी।

7. चयन का मापदण्ड एवं योग्यता सूची तैयार करना :-

नियम, 2005 के नियम (9) में प्रावधान है कि "संविदा शाला शिक्षक के नियोजन तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के वर्ग की योग्यता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी। इस प्रावधान के अधीन रिक्त पदों के अनुसार पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदक को पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदक द्वारा पूर्व में किये गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर नियोक्तवार/विषयवार/ आरक्षणवार रिक्त पदों के अनुक्रम में मेरिट सूची तैयार की

21/3/12

जायेगी। एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक निकाय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
मेरिट सूची निम्नलिखित अनुसार ऑनलाईन तैयार की जायेगी :-

(1) एकीकृत मेरिट सूची- सर्वप्रथम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जाएंगे। इस सूची में समस्त वैध अभ्यर्थियों के नाम होंगे।

(2) अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची-

(अ) अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची-

एकीकृत मेरिट सूची से सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट के क्रम में तैयार की जायेगी।

(ब) महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया-

अनारक्षित प्रवर्ग में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनारक्षित वर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की गई सूची में यदि 50 प्रतिशत से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित है तो मेरिट सूची में उतनी संख्या में पुरुष अभ्यर्थियों के नाम हटाये जायेंगे एवं उनके स्थान पर एकीकृत सूची में मेरिट के क्रम में आने वाली महिलाओं के नाम उतनी ही संख्या में सम्मिलित किये जायेंगे। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने पर इसकी पूर्ति मेरिट के क्रम में पुरुष अभ्यर्थियों से की जा सकती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनाते समय महिलाओं के लिए आरक्षण की इसी प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। किसी प्रवर्ग में महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद की पूर्ति उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से मेरिट के आधार पर की जायेगी।

(3) निःशक्त व्यक्तियों का चयन- अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में पद निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चयनित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी के स्थान पर यथा स्थिति महिला निःशक्त अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा एवं पुरुष अभ्यर्थी के स्थान पर मेरिट के क्रम में निःशक्त अभ्यर्थियों को इस सूची में



सम्मिलित किया जायेगा, ताकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो।

- (4) भूतपूर्व सैनिकों का चयन— अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में पद भूतपूर्व सैनिक व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चयनित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी के स्थान पर यथा स्थिति महिला भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा एवं पुरुष अभ्यर्थी के स्थान पर मेरिट के क्रम में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को इस सूची में सम्मिलित किया जायेगा, ताकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो।
- (5) अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरुद्ध नहीं माना जावेगा। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थी को अनारक्षित प्रवर्ग में माना जायेगा।
- (6) आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची— अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किये जाने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किये जाने के पश्चात् एकीकृत मेरिट सूची से प्रावीण्यता के क्रम में अनारक्षित सूची में सम्मिलित किए जा चुके अनु. जाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति प्रवर्ग) के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। महिला, निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पदों का चयन उपरोक्त कंडिका-7 (2)(ब), 7 (3) एवं 7 (4) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही आरक्षित प्रवर्ग की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- (7) प्रतीक्षा सूची - जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रहेंगे उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर विषयवार, आरक्षणवार एवं श्रेणीवार (श्रेणी-1, 2 एवं 3) प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। मेरिट सूची के आधार पर पदभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से रिक्त रहे पद, नवीन स्वीकृत पदों तथा अन्य कारणों से रिक्त रहे पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची दो वर्षों की कालावधि तक के लिए अथवा पात्रता परीक्षा के परीक्षा परिणाम की वैधता तक अथवा अगली पात्रता परीक्षा होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य होगी।

8
27/3/12

8. नियुक्तकर्ता अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति:-

- (1) संविदा शाला शिक्षक के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही नियुक्तकर्ता अधिकारी स्तर पर उपरोक्त कंडिका 7 अनुसार तैयार की गई विषयवार, आरक्षणवार चयन सूची से की जायेगी।
- (2) उक्तानुसार तैयार की गई निकायवार/संवर्गवार/विषयवार मेरिट सूची एज्यूकेशन पोर्टल एवं अन्य पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी तथा इसकी प्रति संबंधित नियुक्तकर्ता अधिकारी के सूचना पटल पर भी चस्पा की जायेगी।
- (3) ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची में होगा नियुक्तकर्ता अधिकारी को अपनी उपस्थिति देगा। नियुक्तकर्ता अधिकारी प्रमाण-पत्रों की पुनः जाँच करेगा एवं नियम, 2005 में उल्लेखित संविदा प्ररूप को चयनित अभ्यर्थी से प्राप्त करेगा एवं चयनित आवेदक को नियुक्ति आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी करेगा। तत्पश्चात चयनित आवेदक को संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त आदिवासी विकास को उपस्थित एवं ई-सेवा पुस्तिका तैयार करने हेतु तथा यथा संभव नव नियुक्त शिक्षकों का परिचयात्मक प्रशिक्षण (Induction Training) प्राप्त करने हेतु निर्देशित करेगा।
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों को आवेदक से प्राप्त कर ई-सेवा पुस्तिका तैयार करेगा एवं फोटो एवं आवश्यक प्रमाण पत्र को अपलोड करेगा। अभ्यर्थी को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित करेगा।
- (5) संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति आदेश दिनांक से संविदा शाला शिक्षक के रूप में वरीयता एवं मासिक संविदा पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

9. पदस्थापना:-

(1) रिक्तियों का प्रदर्शन :-


नियुक्तकर्ता अधिकारी स्तर पर उपलब्ध समस्त रिक्त पदों की संस्थावार जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा नियुक्तकर्ता अधिकारी से प्राप्त कर एज्यूकेशन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा रिक्त पदों

की जानकारी को नियुक्तकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा भी किया जायेगा।

- (2) कंडिका 8 अनुसार नियोजित अध्यापकों की निकाय के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त स्थानों पर मेरिट सूची के वरीयता क्रम में पदस्थापना की जायेगी। शैक्षणिक संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार निश्चित दिवसों में प्रदेश में एक साथ की जायेगी। पदस्थापना विचारण के दौरान परिचयात्मक प्रशिक्षण पूर्णता को विचार में नहीं लिया जायेगा अर्थात् पदस्थापना प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण से शेष रहे सभी अभ्यर्थियों की एक साथ की जायेगी।
- (3) पदस्थापना में निःशक्त अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- (4) संस्था के लिए पदस्थापना, का आदेश एज्यूकेशन पोर्टल से जारी किया जायेगा। इसके उपरांत नियोजित किये गये अध्यापक को पदांकित शाला में पदभार ग्रहण कर नियमित अध्यापन कार्य संपन्न करना होगा।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


27/3/2012
(एम. के. दाण्डे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 27/3/12

पृष्ठ क्रमांक / / एफ 01-01 / 2012 / 20-1
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।


27/3/2012
अवर सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग


27/3/12